

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(एस-147/2023)/अलेसे-III/1418 दिनांक :- 14/07/25

कार्यालय आदेश

श्रीमती सिमरन अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 716825) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, नदबई जिला भरतपुर के पत्र क्रमांक 659 दिनांक 03.06.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अन्तर्गत वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (चिकित्सालय प्रमाण-पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.04.2025 से दिनांक 22.04.2025 तक कुल 15 दिवस

उक्त 15 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती सिमरन अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(एस-147/2023)/अलेसे-III/1418 दिनांक :- 14/07/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, नदबई जिला भरतपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3 श्रीमती सिमरन अग्रवाल, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 716825) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, नदबई जिला भरतपुर।
- 4 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)